

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

38282 - उसकी पत्नी रोज़ा नहीं रखना चाहती है

प्रश्न

मेरा भाई एक धर्मनिष्ठ आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी धर्मनिष्ठ नहीं है। वह न तो रोज़ा रखती है, और न ही वास्तव में रमज़ान के बारे में कुछ जानती है। हमारे रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं है जो उसके निकट में रहता हो, और उसके लिए यह कठिन है कि वह अपनी पत्नी पर प्रभाव डाल सके कि वह बदल जाए। वह उसके लिए अल्लाह तआला से प्रार्थना करता है कि उस को सत्य मार्ग दर्शाए, और उसे उसकी हालत पर धैर्य करने का सामर्थ्य दे। परंतु ऐसा लगता है कि वह अपने अंदर कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहती है, या वह मुसलमानों की तरह व्यवहार करना नहीं चाहती है।

क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा भाई उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करे कि वह इस्लाम के अधिक करीब आ जाए और दीनदार (धर्मनिष्ठ) बन जाए ?

विस्तृत उत्तर

उत्तर :

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

आपके भाई के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी पत्नी को सत्य मार्ग की ओर लाने के लिए सभी उपायों और साधनों के द्वारा अत्यंत प्रयास करे। चुनाँचे वह उसके साथ प्रलोभन और चेतावनी के तरीके का इस्तेमाल करे, और उसको अल्लाह तआला और उसके हुक्म याद दिलाए, उसको उपदेश और नसीहत करे, और वह जिस भयानक और खतरनाक स्थिति में है, उससे उसको सूचित करे। फिर उसे अच्छी संगत से जोड़ने का प्रयास करे, भले ही वह उसके रिश्तेदारों में से न हो। जैसे कि वह अपने दोस्तों की नेक और सदाचारी पत्नियों से उसका संपर्क करा दे, तथा उसके लिए लाभदायक कैसिटें और उपयोगी किताबें लेकर आए। अगर वह उसकी बातों को मान ले और आज्ञाकारी बन जाए, तो यही लक्ष्य और उद्देश्य है, अन्यथा उसके साथ उपेक्षा और अलगाव का ढंग अपनाने में कोई रूकावट नहीं है यदि वह इस तरह की स्थिति में लाभदायक हो। क्योंकि जब पति के हक के लिए पत्नी से संबन्धविच्छेद करना धर्मसंगत है, तो फिर अल्लाह तआला के अधिकार के लिए धर्मसंगत होना अधिक पात्र है।

तथा अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है कि उन्होंने ने कहा कि : मैं ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

व सल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि: “इस बीच कि मैं सोया हुआ था मेरे पास दो आदमी आए। वे दोनों मेरा बाजू पकड़ कर एक दुर्लभ चढ़ाई वाले पहाड़ पर ले गए। उन दोनों ने कहा : चढ़िए। मैंने कहा : मैं इसकी ताकत नहीं रखता। उन्होंने ने कहा : हम आपके लिए उसे आसान कर देंगे। तो मैं ऊपर चढ़ गया यहाँ तक कि जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँचा तो वहाँ जोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं ने कहा : ये आवाज़ें कैसी हैं ? उन्होंने ने कहा : यह नरक वालों के चीखने-चिल्लाने की आवाज़ है। फिर वे दोनों मुझे लेकर आगे बढ़े तो मैं ने ऐसे लोगों को देखा जिन्हें उनके कूचों से लटकाया गया था, उनके जबड़े (बाच्छें) चीरे हुए थे, जिनसे खून बह रहे थे। मैं ने कहा : ये कौन लोग हैं ? उन्होंने ने कहा : यह वे लोग हैं जो रोज़ा खोलने के समय से पहले ही रोज़ा तोड़ देते थे।” इसे बैहक्री (हदीस संख्या :7796) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह कहा है।

जब यह भयानक सज़ा समय से पहले इफ्तार करने वालों की है, तो उन लोगों का क्या हाल हो गा, जो बिल्कुल ही रोज़ा नहीं रखते हैं!

यदि वह पत्नी रोज़ा न रखने के साथ-साथ, बिल्कुल नमाज़ भी नहीं पढ़ती है, तो वह इसके कारण विद्वानों के राजेह कथन के अनुसार इस्लाम धर्म से खारिज़ हो चुकी है। इस आधार पर, आप के भाई के लिए उसको अपने विवाह (पत्नीत्व) में रखना जायज़ नहीं है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

तथा प्रश्न संख्या : (12828) देखें।